निबन्ध लेखन

प्रश्न 21. निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर 300-350 शब्दों में सारगर्भित निबंध लिखिए-4

उत्तर--

राष्ट्रीय एकता

(i) प्रस्तावना- भारत एक विशाल और बहआयामी देश है, जिसमें अनेक भाषाओं, धर्मों, सम्प्रदायों, वर्गो, जातिया, उपजातियों, संस्कतियों. मान्यताओं. दर्शन तथा विचारधाराओं का सम्मिश्रण है। विश्व के अधिकाश धर्म यहा फल-फल रहे हैं तथा यहाँ के जीवन-दर्शन पर उनका थोडा या अधिक प्रभाव है। भारत की एकता उसकी विभिन्नताओं में ही निहित है।

(ii) राष्ट्र के लिए एकता आवश्यक-- स्वतन्त्रता-प्राप्ति के बाद हमारे देश में लोकतन्त्र की प्रतिष्ठा हुई। शासन-व्यवस्था में किसी जाति-विशेष या धर्म-विशेष को प्रमखता न देकर सभी देशवासियों को समानता का अधिकार दिया गया और राजनीतिक, वैचारिक एवं आर्थिक समानता का सिद्धान्त अपनाकर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया गया। हमारे पडोसी देश प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से हमारी एकता को कमजोर करने का कुचक्र रचते रहते हैं। लेकिन जब भी भारत पर आक्रमण हुए, भारतीयों ने सभी भेदभावों को भुलाकर एकता तथा राष्ट्रीयता का परिचय दिया। इससे हमारी राष्ट्रीय एकता मजबूत हुई

(iii) एकता के बाधक तत्त्व--- इतना सब कुछ होने के बाद भी हमारी राष्ट्रीय एकता को कमजोर करने की कुचालें चली जा रही हैं। कुछ राष्ट्रों की खुफिया एजेन्सियाँ आतंकवाद को बढ़ावा दे रही हैं। कहीं साम्प्रदायिक दंगे करवाये जाते हैं तो कहीं जातिगत विद्वेष भड़काया जाता है। आज भी देश के अलग-अलग भागों में भाषा, क्षेत्र और सम्प्रदाय के नाम पर आंदोलन चलाए जाते हैं । गोरखालैंड, बोडोलैंड, खालिस्तान जैसे आंदोलन इसके प्रमाण हैं। राजनीतिक दृष्टि से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक का बँटवारा राष्ट्रीय एकता में बाधक बना हुआ है। इन कारणों से आज हमारी राष्ट्रीय एकता समस्याग्रस्त बन गयी है।

(iv) एकता के पोषक तत्त्व-- देश में शांति-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश में विद्यमान विघटनकारी और विध्वंसात्मक तत्त्वों को कठोरता से दबाना आवश्यक है। ऐसा करके ही राष्ट्रीय एकता के पावन लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। राष्ट्रीय एकता की सुदृढ़ता से ही देश तेजी से विकास पथ पर आगे बढकर समृद्ध हो सकता है। अतः प्रत्येक भारतवासी का यह कर्त्तव्य है कि संकीर्ण विचारों को त्यागकर अपने दृष्टिकोण को उदार एवं सहिष्णु बनाकर रष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ करे।

(v) उपसंहार--- संक्षेपतः भारत में जब-जब राष्ट्रीय एकता की न्यूनता रही, तब-तब विदेशी शक्तियों ने यहाँ अपने पैर जमाने की चेष्टा की है। अब स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में अनेकता में एकता का स्वर गूंजने लगा है। उसकी रक्षा के लिए आज राष्ट्रीय एकता की महती आवश्यकता है।

पर्यावरण प्रदूषण : कारण और निवारण

(i) प्रदूषण क्या है?--- प्रदूषण का अर्थ है–वायुमण्डल या वातावरण का दूषित होना। प्रकृति ने हमें शुद्ध जल, शुद्ध वायु, हरी-भरी धरती और शुद्ध पर्यावरण प्रदान किया। उसे हमने अपने भौतिक सुख-साधनों की प्राप्ति के लिए अनेक कल-कारखाने लगाकर दूषित कर दिया। सड़कों पर चलने वाले स्वचालित वाहनों का बढती संख्या, बढ़ती जनसंख्या के आवासों की सुविधा हेतु वृक्षों और वनों की अंधाधुंध कटाई तथा रासायनिक खादों, कीटनाशकों आदि के प्रयोग से प्रदूषण दिन-प्रति दिन बढ़ता जा रहा है।

(ii) प्रदूषण के प्रकार--- पर्यावरण प्रदूषण द्वारा वातावरण को हानिकारक बनाने वाले विभिन्न प्रदूषण क प्रकार हैं वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, भूमि प्रदूषण, रेडियोएक्टिव प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण आदि। कोयला, लकड़ी, खनिज तेल, कल-कारखानों तथा वाहनों के धुएँ से वायु प्रदूषण फैलता है, कल-कारखानों का कूड़ा कचरा तथा हानिकारक रसायन, शहर की गन्दगी व सीवर नदियों में बहाने से जल प्रदूषण होता है। वाहनों, मशीनों, जनरेटरों, वाद्ययंत्रों इत्यादि के शोर से ध्वनि प्रदूषण होता है।

(iii) प्रदूषण के कारण-- प्रदूषण के कारणों में मुख्यतः जनसंख्या वद्धि. स्रोतों का अनियंत्रित दोहन. आर्थिक विकास, परिवहन विस्तार, आधनिक तकनीकों का प्रसार, जनता का अशिक्षित व गराब व कीटनाशकों का अधिक उपयोग, वनों की कटाई एवं विनाश. विषाक्त गैसों का प्रसारण, तीव्र एवं कर्कश ध्वनि. पर्यावरण में बढ़ती रेडियोधर्मिता इत्यादि शामिल हैं।

(IV) प्रदूषण-निवारण के उपाय--- पर्यावरण की सरक्षा से ही प्रदषण की समस्या को सलझाया जा सकता है । सहतु हारयाली को बढ़ावा देना. वक्ष उगाना शोर पर नियंत्रण करना तथा पर्यावरण प्रदषण के प्रति जनचेतना को जाग्रत करना, शामिल जनसंख्या वद्धि पर अंकश. परमाण परीक्षणों पर रोक,रासायनिक पदाथा क उपयाग म कमा आदि उपाय करने होंगे। भारत सरकार द्वारा इस हेत खले में शौच करने. नालियों का गन्दा जल फलन तथा कारखाना से निकलने वाले विषैले अपशिष्टों से पर्यावरण को बचाने के अनेक उपाय किये जा रहे हैं। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लाण्ट लगाये जा रहे हैं घर-घर में शौचालय बनाये जा रहे हैं । नदियों को स्वच्छता का अभियान चलाया जा रहा है।

(v) उपसंहार-- देश में पर्यावरण संरक्षण से सम्बन्धित पाठ्यक्रम भी प्रारम्भ किया गया है। बड़े उद्योगों को प्रदूषण रोकने के उपाय अपनाने के लिए कहा जा रहा है। इन सब उपायों से पर्यावरण में सन्तुलन रखने का प्रयास किया जा रहा है।

सड़क सुरक्षा

(i) सड़क सुरक्षा का तात्पर्य-- यह एक प्रकार की विधि या उपाय है जिससे सड़क दुर्घटना में लोगों को चोट लगने और उससे मौत होने आदि घटनाओं को कम करने का प्रयास किया जाता है। सड़क का उपयोग करने वालों में सभी पैदल यात्री, साईकिल, गाड़ी, बाइक पर चलने वाले लोग शामिल हैं।

(ii) सड़क सुरक्षा की आवश्यकता--- यातायात को नियंत्रित एवं व्यवस्थित करने के लिए कानून की कमी नहीं है। फिर भी तेज गति से भागते वाहनों के कारण प्रतिवर्ष सडक दुर्घटनाएँ बढ़ रही हैं। देश में प्रत्येक वर्ष पाँच लाख सड़क दुर्घटनाएँ होती हैं, इसका अर्थ है कि हर एक मिनट में एक सड़क दुर्घटना होती है और चार से कम मिनट में एक व्यक्ति दम तोड़ देता है। बात यहीं खत्म नहीं होती, दुर्घटना के शिकार व्यक्ति के परिवार पर जो गुरजती है उसका कोई हिसाब नहीं है।

(ii) सड़क सुरक्षा के उपाय-- सड़क पर चलने के लिए सभी के लिए नियम बने हुए हैं। इन नियमों का पालन करना सभी के लिए अत्यन्त आवश्यक है। सड़क पर चलने वालों को अपने बाईं तरफ होकर चलना चाहिए। खासकर चालक को दूसरी तरफ आ रहे वाहन को जाने देना चाहिए। चालक को गाड़ी घुमाते समय गति धीमी रखनी चाहिए। अधिक व्यस्त सड़कों पर सावधानी रखनी चाहिए। दोपहिया वाहन चालकों को अच्छी गुणवत्ता के हेलमेट पहनने चाहिए। गति निर्धारित सीमा तक ही रखना चाहिए।

(iv) उपसंहार-- सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी को नियमों का पालन करना आवश्यक है। सभी गति नियंत्रण में और दूसरे वाहन से निश्चित दूरी बना कर चलने की आदत को विकसित करें। तभी वे अपनी व दूसरों के जीवन की सुरक्षा कर पायेंगे।

मातृभाषा और उसका महत्त्व

(i) मातभाषा का अर्थ-- मातृभाषा का अर्थ है माता द्वारा सीखी गई भाषा। बच्चा अपने माता-पिता व अन्य पारिवारिक सदस्यों द्वारा सीखी गई भाषा को बोलता व समझता है, वह उसकी मातृभाषा है। व्यापक अर्थ में जिस जन्मभूमि पर हम पैदा हुए, बड़े हुए, इस दौरान जन्मभूमि में बोली जाने वाली भाषा ही हमारी मातृभाषा कहलाती है।

(ii) शिक्षा का मातृभाषा से सम्बन्ध--- मातृभाषा का शिक्षा से महत्त्वपूर्ण संबंध है। छात्रों का बौद्धिक, नैतिक एवं सांस्कृतिक विकास उनकी भाषा क्षमता पर ही निर्भर करता है। विद्यार्थी के मस्तिष्क, ज्ञान विचार, कुशलता, मौलिकता का विकास इसी शिक्षा पर निर्भर है। भाव अनुभूति और व्यक्तित्व का विकास भी शिक्षा द्वारा होता है क्योंकि मातृभाषा को सीखने में अधिक कठिनाई नहीं आती है। मातभाषा ही सभी विषयों के ज्ञान-विज्ञान का मूल आधार है, अतः शिक्षा के सर्वतोमुखी विकास के उद्देश्य की पर्ति मातृभाषा बिना संभव नहीं है।

(iii) सांस्कृतिक विकास में मातभाषा का महत्व--- मातृभाषा किसी व्यक्ति, समाज, संस्कृति या राष्ट्र की पहचान होती है। वास्तव में भाषा एक संस्कृति है, उसके भीतर भावनाएँ. विचार और सदियों की ही पद्धति समाहित होती है। राम राम या प्रणाम आदि सम्बोधन व्यक्ति को व्यक्ति से तथा समष्टि से जोड़ने वाली सास्कृतिक अभिव्यक्तियाँ हैं। हम घर के बाहर स्वास्तिक बनाते हैं और सुस्वागतम् लिखते हैं। जिससे हमारी संस्कृति का ज्ञान भाषा द्वारा होता था।

(iv) उपसंहार-- मातृभाषा श्रेष्ठ है क्योंकि मातभाषा विद्यार्थी को आत्मविश्वासी व योग्य बनाती है। हमें हमारी संस्कृति से जोडे रखती है। शिक्षा के उद्देश्य को परा करती है। परम्परा की एक धरोहर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुँचाती है।

आत्मनिर्भर भारत

1. प्रस्तावना---- शास्त्रों में कहा गया है कि 'सर्वं परवशं दुःखम्' 'सर्वमात्मवशं सुखम्' अर्थात् सब तरह से दूसरों पर निर्भर रहना ही 'दु:ख' है एवं सब प्रकार से आत्मनिर्भर होना ही सुख है। इसका प्रत्यक्ष अनुभव कोरोना वैश्विक महामारी के समय स्पष्ट रूप से सभी को हुआ है। इस महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ है। देश को समृद्ध व सुखी बनाने के लिए बनाने के लिए तथा कोरोना महामारी का मुकाबला करने के लिए भारत के प्रधानमन्त्री ने 12 मई 2020 को 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान शुरू करने की घोषणा की।

2. आत्मनिर्भर भारत--- भारत के प्रधानमन्त्री ने कहा कि 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के सपने को पूरा करने के लिए यह सुनिश्चित करते हुए आगे बढना है कि देश आत्मनिर्भर हो जाए। यहाँ आत्मनिर्भर भारत का तात्पर्य स्वदेशी उद्धोगो को बढ़ावा देने के साथ-साथ विदेशी निवेश को भी बढ़ावा देना है, जिससे यहाँ रोजगार के अधिकाधिक अवसर उपलब्ध हो सकें एवं भारत की आर्थिक समृद्धि के साथ ही विश्व का भी कल्याण हो सके।

3. आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ----- प्रधानमन्त्री महोदय के अनुसार आत्मनिर्भर भारत के पाँच स्तम्भ इस प्रकार हैं--- 1. अर्थव्यवस्था, जो वृद्धिशील परिवर्तन नहीं . बल्कि लम्बी छलाँग सुनिश्चित करती है। 2. बुनियादी ढाँचा, जिसे भारत की पहचान बन जाना चाहिए। 3. प्रणाली (सिस्टम), जो 21वीं सदी की प्रौद्योगिकी संचालित व्यवस्थाओं पर आधारित हो। 4. उत्साहशील आबादी, जो आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी ऊर्जा का स्रोत है, तथा 5. माँग, जिसके तहत हमारी माँग एवं आपूर्ति श्रृंखला (सप्लाई चेन) की ताकत का उपयोग पूरी क्षमता से किया जाना चाहिए।

4. आत्मनिर्भरता के उपाय एवं लाभ---- आत्मनिर्भरता के लिए भूमि, श्रम, तरलता और कानूनों पर फोकस करते हुए कुटीर उद्योग, एमएसएमई, मजदूरों, मध्यम वर्ग तथा उद्योगों सहित विभिन्न वर्गों की जरूरतों को पूरा करना आवश्यक है। इसी आवश्यकता को पूरा करने के लिए मनोबल के साथ-साथ आर्थिक सहायता के रूप में भारत सरकार ने विभिन्न चरणों में लगभग बीस लाख करोड़ रुपयों

के एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की है। आत्मनिर्भरता भारत को वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में कड़ी प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। इसके लिए स्थानीय उत्पादों का गर्व से प्रचार करने और इन उत्पादों को वैश्विक बनाने में मदद करने की आवश्यकता है। इन उपायों को करने से भारत न केवल आर्थिक दृष्टि से सशक्त होगा, अपितु विश्व में विकासशील देशों में अग्रणी बन सकेगा।

5. उपसंहार---- आत्मनिर्भरता सभी तरह के संकटों का सामना करने का सशक्त हथियार है, जिसके बल से हम आर्थिक संकट रूपी युद्ध को जीत सकते हैं। अतः विश्व में भारत की महत्ता एवं सम्पन्नता को बनाये रखने के लिए आत्मनिर्भर भारत की अति आवश्यकता है।

कोरोना वायरस-21वीं सदी की महामारी

- **(i) प्रस्तावना---** वर्ष 2019 के अन्त में चीन के वुहान शहर में पहली बार प्रकाश में आए कोरोना वायरस संक्रमण ने वर्ष 2020 में विश्व के लगभग सभी देशों को अपनी चपेट में ले लिया है। इस महामारी के कारण विश्व के सभी समृद्ध देशों की स्थिति भी दयनीय हो गई है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने घातक कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम कोविड-19 रखा है, जिसमें 'को' का अर्थ कोरोना, 'वि' का अर्थ वायरस तथा 'डी' का अर्थ डिसीज (बीमारी) है। चूँकि इस विषाणु की पहचान पहली बार 31 दिसम्बर, 2019 को चीन में हुई थी, अतः अन्त में वर्ष 2019 का 19 अंक लिया गया है।

(ii) कोरोना वायरस----- लक्षण-इसके लक्षण फ्लू से मिलते-जुलते हैं। कोरोना वायरस के संक्रमण के फलस्वरूप बुखार, जुकाम, साँस लेने में तकलीफ, नाक बहना, सिर में तेज दर्द, सूखी खाँसी, गले में खराश व दर्द आदि समस्याएँ उत्पन्न होती हैं। यह वायरस एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, इसलिए इसे लेकर बहुत सावधानी बरती जा रही है। कुछ मामलों में कोरोना वायरस घातक भी हो सकता है, खास तौर पर अधिक उम्र के लोग और जिन्हें पहले से अस्थमा, डायबिटीज, हृदय रोग आदि की बीमारी है।

बचाव के तरीके----- स्वास्थ्य मन्त्रालय ने कोरोना वायरस से बचने के लिए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इनके मुताबिक हाथों को बार-बार साबुन से धोना चाहिए, इसके लिए अल्कोहल आधारित हैंडवॉश का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। खाँसते व छींकते समय अपने मुँह और नाक को मास्क, टिशू/रूमाल से ढककर रखें। अपने हाथों से बार-बार आँख, नाक या मुंह न छुएं। भीड़-भाड़ वाले स्थान पर न जाएँ। बाहर जाते समय या किसी से बात करते समय मास्क का प्रयोग करें। संक्रमण के कोई भी लक्षण दिखलाई देने, संक्रमित व्यक्ति या स्थान से सम्पर्क होने पर तुरन्त स्वास्थ्य की जाँच करायें तथा कुछ दिनों तक स्वयं को होम आइसोलेशन में रखें। इसका टीका लगवायें।

(iii) कोरोना वायरस महामारी का सामाजिक प्रभाव---- इस वैश्विक महामारी से बचाव, रोकथाम, उपचार एवं पुनर्वास हेतु विश्व के लगभग सभी देशों में लॉकडाउन, आइसोलेशन, क्वारंटाइन की नीति अपनाई गई, संक्रमण के भय से लगभग समस्त सामाजिक गतिविधियाँ, उत्सवं आदि बन्द हो गए। सार्वजनिक यातायात एवं आर्थिक गतिविधियों के बन्द हो जाने से लोगों के रोजगार एवं आजीविका पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। इससे खाद्य असुरक्षा में वृद्धि, उत्पादन में कमी आदि से सामाजिक जीवन अत्यधिक प्रभावित हुआ है।

(iv) आर्थिक प्रभाव---- कोरोना वायरस महामारी से निपटने के लिए सभी देशों, राज्यों द्वारा लगाए गए लॉकडाउन, संक्रमित व्यक्तियों के उपचार, सम्भाव्य रोगियों/कैरियर्स के आइसोलेशन, जाँच प्रक्रिया, दवा, क्वारंटाइन की व्यवस्था; वंचित एवं अरक्षित समूहों को राहत पहुँचाने आदि के कारण सार्वजनिक व्यय में भारी वृद्धि तथा कर राजस्व में कमी होने से, व्यापार, उद्योग आदि बन्द हो जाने से सभी क्षेत्रों में आर्थिक मन्दी दिखलाई देती है।

(v) उपसंहार--- इस महामारी से निजात पाने हेतु विश्व के सभी देश व वैज्ञानिक प्रयासरत हैं। इसका टीका भी विकसित कर लिया गया है और टीकाकरण किया जा रहा है। परन्तु नये-नये म्यूटेशनं से इस बीमारी का खतरा अभी भी बना हुआ है।

कन्या भ्रूण हत्या : एक जघन्य अपराध

1. प्रस्तावना--- परमात्मा की सृष्टि में मानव का विशेष महत्त्व है, उसमें नर के समान नारी का समानुपात नितान्त वांछित है। नर और नारी दोनों के संसर्ग से भावी सन्तान का जन्म होता है तथा सृष्टि-प्रक्रिया आगे बढ़ती है। परन्तु वर्तमान काल में अनेक कारणों से नर-नारी के मध्य लिंग-भेद का वीभत्स रूप सामने आ रहा है, जो कि परुष-सत्तात्मक समाज में कन्या भ्रूण हत्या का पर्याय बनकर असमानता बढ़ा रहा है। हमारे देश में कन्या भ्रूण हत्या आज अमानवीय कृत्य बन गया है जो कि चिन्तनीय विषय है।

2. कन्या-भ्रूण हत्या के कारण--- हमारे यहाँ मध्यमवर्गीय समाज में कन्या जन्म अमंगलकारी माना जाता है, क्योंकि कन्या को पाल-पोष कर, शिक्षित कर उसका विवाह करना पड़ता है। इस निमित्त और विवाह में दहेज के कारण बहुत सारा धन खर्च करना पड़ता है। इसीलिए कन्या को पराया धन मानकर उपेक्षा की जाती है और पत्र को वंश-वृद्धि का कारक, वृद्धावस्था का सहारा मानकर उसकी चाहना की जाती

3. कन्या-भ्रूण हत्या की विद्रूपता--- वर्तमान में अल्ट्रासाउण्ड मशीन वस्तुतः कन्या-संहार का हथियार बन गया है। लोग इस मशीन की सहायता से लिंग-भेद ज्ञात कर कन्या-भ्रूण को गिराकर नष्ट कर

देते हैं। जिसके कारण लिंगानुपात का संतुलन बिगड़ गया है। कई राज्यों में लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की संख्या बीस से पच्चीस प्रतिशत कम है। इस कारण सुयोग्य युवकों की शादियाँ नहीं हो पा रही हैं। एक सर्वेक्षण के अनुसार हमारे देश में प्रतिदिन लगभग ढाई हजार कन्या-भ्रूणों की हत्या की जाती है। हरियाणा, पंजाब तथा दिल्ली में इसकी विद्रपता सर्वाधिक दिखाई देती है।

4. कन्या-भ्रूण हत्या के निषेधार्थ उपाय---- भारत सरकार ने कन्या भ्रूण हत्या को प्रभावी ढंग से रोकने के लिए अल्ट्रासाउण्ड मशीनों से लिंग-ज्ञान पर पूर्ण प्रतिबन्ध लगा दिया है। इसके लिए 'प्रसवपूर्व निदान तकनीकी अधिनियम (पी.एन.डी.टी.), 1994' के रूप में कठोर दण्ड-विधान किया गया है। आजकल तो लिंग जाँच पर पूरी तरह से प्रतिबन्ध लगा दिया गया है। साथ ही नारी सशक्तीकरण, बालिका निःशुल्क शिक्षा, पैतृक उत्तराधिकार, समानता का अधिकार आदि अनेक उपाय अपनाये गये हैं। यदि भारतीय समाज में पुत्र-पुत्री जन्म में अन्तर न माना जाए और पुत्री-जन्म को घर की लक्ष्मी मानकर स्वागत किया जाए तो लोगों की मानसिकता बदलने से कन्या-भ्रूण हत्या पर स्वतः प्रतिबन्ध लग जायेगा।

5. उपसंहार----- वर्तमान में लिंग-चयन एवं लिंगानुपात विषय पर काफी चिन्तन किया जा रहा है। संयुक्त राष्ट्रसंघ में कन्या-संरक्षण के लिए घोषणा की गई है। भारत सरकार ने भी लिंगानुपात को ध्यान में रखकर कन्या-भ्रूण हत्या पर कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया है। वस्तुतः कन्या-भ्रूण हत्या का यह नृशंस कृत्य पूरी तरह समाप्त होना चाहिए।

विद्यार्थी जीवन में अनुशासन

1. प्रस्तावना--- अनुशासन शब्द 'अनु' व 'शासन' इन दोनों शब्दों के मेल से बना है। अनु का अर्थ है, पीछे या अनुकरण तथा शासन का अर्थ है-व्यवस्था, नियन्त्रण अथवा संयम। इस प्रकार अनुशासन का शाब्दिक अर्थ है। अपने को वश में रखना, आदेश या नियमों का पालन करना। अनुशासन एक मानवीय गुण है; जिसके कारण जीवन नियमित, संयमित होता है तथा समय की बचत होती है। इसलिए राष्ट्रीय एवं सामाजिक जीवन में अनुशासन का विशेष महत्त्व है।

2. विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्त्व---- यद्यपि जीवन के हर क्षेत्र में अनुशासन अति आवश्यक है लेकिन विद्यार्थी जीवन में इसका विशेष महत्त्व है, क्योंकि विद्यार्थी जीवन वह अवधि है जिसमें नये संस्कार और आचरण एक नींव की भाँति विद्यार्थी के मन को प्रभावित करते हैं । इस अवस्था में वह जैसा व्यवहार और आचरण सीख लेता है, वही उसके भावी जीवन का अंग बन जाता है। यह अवस्था भावी वृक्ष की उस कोमल शाखा की भाँति है, जिसे जिधर चाहो, उधर मोड़ा जा सकता है। पूर्णतया विकसित वृक्ष की शाखाओं को मोड़ना संभव नहीं है। उन्हें मोड़ने का प्रयास करने पर वे

टूट तो सकती हैं, मुड़ नहीं सकतीं। इसीलिए इस अवस्था को भावी जीवन की तैयारी का काल मानकर इसमें सुसंस्कार और सद्प्रवृत्तियाँ डालने का प्रयास किया जाता है। इसी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु प्राचीन काल में प्रत्येक बालक को गुरु के आश्रम में रहकर, गुरु के कठोर अनुशासन का पालन करना पड़ता था।

3. अनुशासनहीनता के कारण व दुष्परिणाम---- आजकल अनेक कारणों से विद्यार्थी अनुशासनहीन होते जा रहे हैं। पश्चिमी सभ्यता, फैशन परस्ती, दूरदर्शन तथा चलचित्र तथा दूषित शिक्षा प्रणाली के कारण आज विद्यार्थी अनुशासनहीन तथा संस्कारविहीन होते जा रहे हैं। विद्यार्थियों की अनुशासनहीनता को बढ़ाने में राजनीतिक दलों की भी भूमिका है।

अनुशासनहीनता विद्यार्थी को बार-बार पग-पग पर लांछित और प्रताड़ित करती है ।

4. अनुशासनप्रियता के सुपरिणाम--- जीवन में सफलता का रहस्य अनुशासन की भावना रखना है। जिस राष्ट्र के लोगों को अनुशासन का महत्व स्वीकार्य है, जो उत्तरदायित्व को समझते हैं, वे अपना तथा अपने राष्ट्र का गौरव बढ़ाते हैं। विद्यार्थी जीवन में तो अनुशासन की विशेष उपयोगिता है, क्योंकि आज का विद्यार्थी राष्ट्र का भावी सुनागरिक है । अनुशासनप्रिय छात्र ही परिश्रमी, कर्तव्यपरायण और विनयशील हो सकता है और जीवन में प्रगति-पथ पर स्वतः अग्रसर हो सकता है।

5. उपसंहार---- अनुशासन एक ऐसी प्रवृत्ति या संस्कार है, जिसे अपनाकर प्रत्येक व्यक्ति अपना जीवन सफल बना सकता है। इससे अनेक श्रेष्ठ गुणों का विकास होता है । अनुशासित रहकर छात्र अपनी और राष्ट्र की प्रगति कर सकता है, अतः अनुशासनपूर्ण जीवन ही वास्तविक जीवन है।

प्लास्टिक थैली : पर्यावरण की दुश्मन

1. प्रस्तावना--- मानव द्वारा निर्मित चीजों में प्लास्टिक थैली ही ऐसी है जो माउंट एवरेस्ट से लेकर सागर की तलहटी तक सब जगह बिखरी मिल जाती है। लगभग तीन दशक पहले किये गये इस आविष्कार ने ऐसा प्रभाव जमा दिया है कि आज प्रत्येक उत्पाद प्लास्टिक की थैलियों में मिलता है और घर आते-आते ये थैलियाँ कचरे में तब्दील होकर पर्यावरण को हानि पहुँचा रही हैं।

2. प्लास्टिक कचरे का प्रसार--- प्लास्टिक थैलियों या कैरी बैग्स का इस्तेमाल इतनी अधिक मात्रा में हो रहा है कि सारे विश्व में एक साल में दस खरब प्लास्टिक थैलियाँ काम में लेकर फेंक दी जाती हैं। अकेले जयपुर में रोजाना पैंतीस लाख लोग प्लास्टिक का कचरा बिखेरते हैं और सत्तर टन प्लास्टिक का कचरा सड़कों, नालियों एवं खले वातावरण में फैलता है। केन्द्रीय पर्यावरण नियन्त्रण बोर्ड के एक अध्ययन के अनुसार एक व्यक्ति प्रतिवर्ष छह से सात किलो प्लास्टिक कचरा फेंकता है। केवल राजस्थान में ही प्लास्टिक उत्पाद-निर्माण की तेरह सौ इकाइयाँ हैं।

3. प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण प्रदूषण---- इस प्लास्टिक कचरे से नालियाँ अवरुद्ध हो जाती हैं, भूगर्भिक जल प्रदूषित हो जाता है, पृथ्वी की उर्वरा शक्ति क्षीण हो जाती है। इससे कैंसर जैसे असाध्य रोग हो जाते हैं। पर्यावरण विज्ञानियों ने प्लास्टिक के बीस माइक्रोन या इससे पतले उत्पाद को पर्यावरण के लिए बहुत घातक बताया है। ये थैलियाँ मिट्टी में दबने से फसलों के लिए उपयोगी कीटाणुओं को मार देती हैं । इनसे हवा में प्रदूषण फैलने से अनेक असाध्य रोग फैल जाते हैं। इस तरह प्लास्टिक थैलियों से पर्यावरण को हानि पहुँचती है।

4. प्लास्टिक थैलियों पर प्रतिबन्ध----- प्लास्टिक थैलियों के उत्पादनकर्ताओं को कुछ लाभ हो रहा हो तथा उपभोक्ताओं को भी सामान ले जाने में सुविधा मिल रही हो, परन्तु यह क्षणिक लाभ पर्यावरण को दीर्घकालीन हानि पहुँचा रहा है। कुछ लोग बीस माइक्रोन से पतले प्लास्टिक पर प्रतिबन्ध लगाने की वकालत कर उससे अधिक मोटे प्लास्टिक को रिसाइक्लड करने का समर्थन करते हैं. परन्तु वह " रिसाइक्लड प्लास्टिक भी एलर्जी, त्वचा रोग एवं पैकिंग किये गये खाद्य पदार्थो को दूषित कर देता है । इसीलिए राजस्थान सहित अन्य दूसरे राज्यों ने प्लास्टिक शैलियो पर प्रतिबन्ध लगा दिया है।

5. उपसंहार--- प्लास्टिक थैलियों का उपयोग पर्यावरण की दृष्टि से सर्वथा घातक है। यह असाध्य रोगों को बढ़ाता है। इससे अनेक हानियाँ होने से इसे पर्यावरण का शत्रु भी कहा जाता है।

बढ़ते हुए फैशन का दुष्प्रभाव

1. प्रस्तावना--- अपने आपको आकर्षक बनाने की चाह मनुष्य की एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है। नित नए परिधानों से सजना अर्थात् दिखावा और आकर्षण फैशन के अनिवार्य लक्षण हैं। फैशन किया ही इसलिए जाता है कि लोग उसे देखें और चमत्कृत हों। इसी चाह का विस्तार कलात्मक वेशभूषा, केश-सज्जा तथा आभूषण प्रियता में देखने को मिलता है। ये सभी फैशन के अंग हैं। फैशन मर्यादा में रहे, व्यर्थ उत्तेजना पैदा न करे तो वह सराहनीय है, तब वह कलाकारों, कवियों और चित्रकारों के कला बोध और समाज के सौंदर्य का प्रभावी अंग होता है; किन्तु यदि फैशन केवल प्रदर्शन बन जाए और देशकाल के अनुरूप न हो तो 'वह अमंगलकारी हो जाता है।

2. फैशनपरस्ती का प्रचलन---- बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध में पाश्चात्य सभ्यता के प्रभाव से समाज में खुलेपन की नींव पड़ी, फिर फिल्मों द्वारा फैशनपरस्ती को बढावा दिया गया। इससे युवा वर्ग इतना प्रभावित हुआ कि वह अभिनेताओं और अभिनेत्रियों की पहनावे में ही उनकी स्टाइल की भी नकल करने लगा। इतना ही नहीं विभिन्न कम्पनियों द्वारा महानगरों में जो फैशन शो आयोजित किए जाने लगे उनसे प्रभावित होकर युवा वर्ग के साथ ही प्रौढ़ वर्ग भी फैशनपरस्ती की चपेट में आ गया।

3. फैशन के विविध रूप--- वर्तमानकाल में फैशन के विविध रूप देखने को मिल रहे हैं। विभिन्न परिधानों से नये-नये फैशनों की विज्ञापनबाजी होती प्रतीत होती है। नई-नई स्टाइल के कपड़े पहनना, सौन्दर्य प्रसाधनों के द्वारा चेहरे को जरूरत से अधिक आकर्षक बनाना आदि के फैशन के रूप प्रचलित हो गये हैं। बड़ी कम्पनियों की विज्ञापनबाजी के प्रभावस्वरूप बच्चे, युवा व प्रौढ़ व्यक्ति भी अब फैशनपरस्त हो गये हैं। आधुनिकता के नाम पर हर पुरानी चीज को नकारना, चाहे वह कितनी ही उपयोगी क्यों न हो, फैशन का एक रूप बन गया है।

4. फैशन का दुष्प्रभाव एवं हानि---- आज फैशनपरस्ती के कारण अनेक दुष्प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। अब धार्मिक क्रियाओं तथा अनुष्ठानों को उपहास का आचरण माना जाता है। युवक-युवतियों की वेशभूषा, तड़क-भड़क तथा आकर्षक वस्त्रों पर हैसियत से अधिक धन खर्च किया जाने लगा है। भारी खर्चों के लिए कभी-कभी धनार्जन का नाजायज तरीका भी अपना लिया जाता है। यह एक प्रकार का मीठा जहर है, जो नई पीढ़ी के लिए विनाशकारी सिद्ध हो सकता है।

5. उपसंहार---- समय के अनुरूप स्वयं को ढालना उचित है, परन्तु कोरे फैशन के मोह में पड़कर स्वयं को अध:पतन की ओर धकेलना उचित नहीं है। फैशन करो, किन्तु उसके शिकार न बनो, उसे भूत की तरह सिर पर न चढ़ाओ। आज की युवा पीढ़ी को अपने संस्कार, सभ्यता एवं संस्कृति को भूलकर फैशन की अंधी दौड़ में बिना किसी लक्ष्य व मंजिल के नहीं दौड़ना चाहिए।

राष्ट्र निर्माण में युवकों का योगदान

1. प्रस्तावना-- युवक देश के कर्णधार होते हैं। देश और समाज का भविष्य उन्हीं पर निर्भर होता है। परन्तु आज हमारे देश की दशा अत्यन्त शोचनीय है। समाज में एकता, जागरूकता, राष्ट्रीय चेतना, कर्त्तव्य-बोध, नैतिकता आदि की कमी है। शिक्षा प्रणाली भी दोषपूर्ण है। राजनीतिक कुचक्र एवं भ्रष्टाचार का बोलबाला हो गया है। स्वार्थ-भावना की वृद्धि, कर्त्तव्यबोध की कमी, कोरा दिखावा एवं अन्धविश्वास आदि समाज को जकड़े हुए हैं। ऐसी स्थिति में युवकों का दायित्व निश्चय ही बढ़ जाता है।

2. युवा पीढ़ी का वर्तमान रूप--- आज की युवा पीढ़ी दिशाहीन है। इसलिए उसमें कुण्ठा, निराशा, तोड़-फोड़ की प्रवृत्ति, दायित्वहीनता आदि अधिक व्याप्त हैं। पाश्चात्य सभ्यता का अन्धानुकरण करने के कारण उनके मन में भारतीय संस्कृति की परम्परागत मान्यताओं के प्रति रुचि नहीं है। अश्लील चलचित्र, अशिष्ट व्यवहार और फैशनपरस्ती के प्रति उनकी रुचि अधिक है। अधिकतर नवयुवक पढ़ाई में मन नहीं लगाते हैं, मेहनत से भागते हैं तथा सफेदपोश साहब बनने के सपने देखते हैं।

3. युवकों का दायित्व---- अतः युवा पीढ़ी के जहाँ समाज के प्रति दायित्व हैं, वहीं अपने जीवन-निर्माण के प्रति भी उसे कुछ सावधानी बरतनी अपेक्षित है। पहले युवक-युवती स्वयं को सुधारें, स्वयं को शिक्षित करें, स्वयं जिम्मेदार नागरिक बनें और स्वयं को चरित्रवान् बनायें, तभी वे समाज की प्रगति में सहायक हो सकते हैं। साथ ही समाज में शान्ति और व्यवस्था बनाये रखना, समाज विरोधी कार्य की रोकथाम करना, उनका दायित्व है। धर्म व नीति की मर्यादाओं को बनाये रखना भी उनका कर्त्तव्य है। समाज में ऊँच-नीच की भावना का विरोध करना, अन्याय और अनीतियों का विरोध करना, सामाजिक सौहार्द्र बनाये रखना भी उनका कर्त्तव्य है। इसके साथ ही भौतिकता के प्रभाव से बचे रहना भी उनका कर्तव्य है।

4. उपसंहार---- उक्त सभी पक्षों को व्यावहारिक रूप देकर ही युवा पीढ़ी समाज के प्रति अपने दायित्वों को पूरा कर सकती है। इसी दशा में समाज सुखमय बन सकता है। नवयुवक भारत की भावी आशाएँ हैं, उन्हें यथासम्भव समाज की अपेक्षाओं को पूरा करने का प्रयत्न करना चाहिए।

मेक इन इण्डिया अथवा स्वदेशी उद्योग

1. प्रस्तावना--- किसी भी देश की समृद्धि एवं विकास का मुख्य आधार उसकी आर्थिक स्थिति एवं उत्पादन क्षमता होती है। जिस प्रकार भारत देश प्राचीन काल में ज्ञान-विज्ञान के क्षेत्र में विश्वगुरु के पद पर प्रतिष्ठित था, उसी प्रकार वर्तमान में आर्थिक सम्पन्नता की दृष्टि से भी भारत विश्व के प्रगतिशील देशों में अग्रणी बनता जा रहा है। इसके लिए प्रत्येक भारतीय के हृदय में स्वदेशी की भावना का निरन्तर विकसित होना आवश्यक है।

2. मेक इन इंडिया प्रारम्भ एवं उद्देश्य---- भारत को सुख-सुविधा सम्पन्न और समृद्ध बनाने, अर्थव्यवस्था के विकास की गति बढ़ाने, औद्योगीकरण और उद्यमिता को बढ़ावा देने और रोजगार का सृजन करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा 25 सितम्बर, 2014 को वस्तुओं और सेवाओं को देश में ही बनाने के लिए 'मेक इन इंडिया' यानी 'भारत में बनाओ' (स्वदेशी उद्योग) नीति की शुरुआत की गई थी। इसके माध्यम से सरकार भारत में अधिक पूँजी और तकनीकी निवेश पाना चाहती है। इसके लिए भारत सरकार का प्रयास है कि विदेशों में रहने वाले सम्पन्न भारतीय तथा अन्य उद्योगपति भारत में आकर अपनी पूँजी से उद्योग लगायें। वे अपने उत्पादन को भारतीय बाजार तथा विदेशी बाजारों में बेचकर मुनाफा कमा सकेंगे तथा भारत को भी इससे लाभ होगा।

3. स्वदेशी उद्योग--- मेक इन इंडिया का ही स्वरूप स्वदेशी उद्योग है। अपने देश को सुख-सुविधा सम्पन्न और समृद्ध बनाने के लिए स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ही उक्त नीति को प्रारम्भ किया गया है। वर्तमान में कोरोना महामारी के बाद तो इसके स्वरूप को और अधिक विस्तृत

करते हुए इसे 'आत्मनिर्भर भारत' नाम दिया गया है, जिसका प्रमुख लक्ष्य अपने देश को पूर्णतया आत्मनिर्भर बनाते हए विदेशी पूँजी को भी भारत में लाना तथा रोजगार के अवसर विकसित करना है।

4. योजना के लाभ--- 'मेक इन इंडिया' अथवा 'स्वदेशी उद्योग' अथवा 'आत्मनिर्भर भारत' की योजना के द्वारा सरकार विभिन्न देशों की कम्पनियों को भारत में कर छूट देकर अपना उद्योग भारत में ही लगाने के लिए प्रोत्साहित करती है, जिससे भारत का आयात बिल कम हो सके और देश में रोजगार का सृजन हो सके। इस योजना से निर्यात और विनिर्माण में वृद्धि होगी जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, साथ ही भारत में रोजगार सृजन भी होगा।

5. उपसंहार--- आज भारत 'स्वदेशी उद्योग' अथवा 'मेक इन इंडिया' या 'आत्मनिर्भर भारत' की नीति के कारण रक्षा, इलेक्ट्रॉनिक, हार्डवेयर आदि क्षेत्रों में आत्मनिर्भर बनता हुआ विश्व का एक सम्पन्न और समृद्ध राष्ट्र बनने की ओर अग्रसर है।